तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मानसिंह राठौड़ बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार शेरगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 153 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मानसिंह राठौड़ सेवानिवृत्त निरीक्षक पुलिस पता प्लॉट नं. 468, न्यू बी.जे.एस. कोलानी, मार्ग नम्बर 22, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.08.2017 में उसके द्वारा (1) पटवार क्षेत्र भूंगड़ा भू–अभिलेख क्षेत्र सो. तला शेरगढ जोधपुर के खेत खसरा नं. 512 / 1, ख.न. 511, 512 व 509, 510, 512 / 2 की जमाबंदी सत्य फोटोप्रति व अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ./2017/ दिनांक 17.10.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./सू.अ./2017/6054 दिनांक 06.10.2017 के जरिये दिनांक 09.10.17 को व्यक्तिशः प्रदाय की जा चुकी है। रिपोर्ट के साथ कार्यालय के पत्रांक भू.अ./सू.अ./2017/6054 दिनांक 06.10.2017 की फोटो प्रति संलग्न है जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलार्थी को सूचना दी जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	